कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com **Phone/Fax: 0135 2767611**

पत्रांक– 2585 / 12-1 :देहरादून:दिनांक: 21 जून, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परितर्वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.62 है0) वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)।

संदर्भ :– भारत सरकार का पत्र सं0–8बी0/यू0सी0पी/06/51/2022/एफ0सी0/766 दिनांक–04.09.2023।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 3155/12–1(2) दिनांक 03.06.2024 (प्रति संलग्न) के माध्यम से सूचना/आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र	अधिरोपित	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त सं0 –1 के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	2 शर्त सं0 –2 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (निजी भूमि) का अधिकरण कर लिया गयाहै।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः– (क)** प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.16 है0 अवनत वनभूमि सिरार क0 04 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। **(ख)** वन मंडल अधिकरी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्रपर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण काय्र नहीं किया गया है। **(ग)** प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमैन्ट एरिया ट्रीटमैन्ट क्षेत्र और डब्ल्यू0 एल0एस0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	3 शर्त सं0 –3 प्रतिपूरक वनीकरण– क– संलग्न है। ख– संलग्न है। ग–का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वीनकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए	शर्त सं0 –4 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि–9,69,388.00 (नौ लाख उनसत्तर हजार तीन सौ अट्ठासी रुपया मात्र) उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है चालान की प्रति संलग्न है। शेष शर्तें आपके विभाग से

	प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	सम्बन्धित हैं।
5	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धरित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	**शर्त सं0 –5** का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
6	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** **(क)** इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202 / 1995 में IA नंबर 556 दिनांक–30.10.2002, 01.08. 2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ0सी0 (Pt) दिनांक–18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ0सी0 दिनांक–03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ0सी0, दिनांक–05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.565 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। **(ख)** विषेशज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	**शर्त सं0–6 <u>शुद्ध वर्तमान मूल्य</u>** **5 (क)** के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रु0–15,51,604.00 मात्र (पन्द्रह लाख इक्यावन हजार छः सौ चार रुपया) की धनराशि उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है। **5 (ख)** के अनुपालन में एन0पी0बी0 की बढ़ी हुई धनराशि जमा की जाने सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है
7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 81 वृक्षों एवं 16 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	**शर्त सं0–7** के अनुपालन 81 वृक्षों एवं 16 Saplings से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पार्टल https://parivesh.nic.in के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकारण फंड में स्थानांतरित / जमा किए जाऐंगे।	**शर्त सं0–8** के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राधिकरण फण्ड में जमा कर दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	**शर्त सं0–9** के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रस्तावक अभिकरण सहमत है।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	**शर्त सं0–10** के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुगति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	**शर्त सं0–11** के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान विभाग द्वारा नहीं बदला जायेगा।
12	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक द्वारा शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	**शर्त सं0–12** के अनुपालन में वनभूमि पर कोई श्रमिक सिविर विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी	**शर्त सं0–13** के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम

	स्त्रोत से प्र्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी भी अन्य कानूनी स्त्रोतों से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	संबन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	**शर्त सं0–14** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	**शर्त सं0–15** के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं वनाया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	**शर्त सं0–16** के अनुपालन में वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदृष्टि प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	**शर्त सं0–17** के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC ,दिनांक– 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	**शर्त सं0–18** के अनुपालन में उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उलंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उलंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाइल सं0–11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक–29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	**शर्त सं0–19** के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथासंभव रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्थारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	**शर्त सं0–20** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथारथान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधान कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता

		अभिकरण सहमत है।
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनिगम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	**शर्त सं0–21** के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	**शर्त सं0–22** के अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	**शर्त सं0–23** के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलुवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	**शर्त सं0–24** के अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनिमम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	**शर्त सं0–25** के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
26	अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	**शर्त सं0–26** के अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 2585 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

Sno.	Proposal No.	Application No	Application No (New)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of IN-PRINCIPLE	Demand Verified Date	Action	Fill Payment Details	Status
1	FP/UK/ROAD/151552/2022	ROAD1515522022852	61151552852	c/o Manan to Chandrapur Link Motor road	Road	1.08	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	04-9-2023	30-9-2023	Paid	Paid	Paid
2	FP/UK/ROAD/8837/2014	ROAD88372014795	6188370795	shaheed mohan singh motor road	Road	2.35	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	08-10-2015	04-3-2023	Paid	Paid	Paid
3	FP/UK/ROAD/120059/2021	ROAD1200592021881	61120059881	C/o Nirai to Auliya gaon, Lachhampur and Supakote Motor Road	Road	0.018	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	10-6-2021	04-10-2021	Paid	Paid	Paid
4	FP/UK/ROAD/15129/2015	ROAD151292015314	6115129314	Jamrani bend to belwal gaon motor road and 18 mtr span R.C.C Motor Bridge	Road	0.972	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	10-9-2020	30-9-2021	Paid	Paid	Paid
5	FP/UK/ROAD/9220/2015	ROAD92202015061	6192200061	Chitai Pant-Haridatt petshali Inter college motor road till Petshal	Road	2.43875	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	17-11-2020	16-3-2021	Paid	Paid	Paid
6	FP/UK/ROAD/46712/2020	ROAD467122020949	6146712949	C/o Sall Bhatkote to Sukna Salyudi Motor Road	Road	3.78	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	16-10-2020	12-1-2021	Paid	Paid	Paid
7	FP/UK/ROAD/38048/2019	ROAD380482019244	6138048244	C/o Naugaon to Kanarichhina Motor road distt almora	Road	1.377	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	30-9-2020	12-1-2021	Paid	Paid	Paid
8	FP/UK/ROAD/47038/2020	ROAD470382020491	6147038491	C/0 of Link Motor Road from kasardevi (Tiwarikhan) to village Math	Road	2.565	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	14-10-2020	17-11-2020	Paid	Paid	Paid
9	FP/UK/ROAD/37372/2018	ROAD373722018879	6137372879	C/0 Motor road from km. 2.00 of NTD-Kafarkhan M/R to Village Bhulyuda Vegetable production Area	Road	1.103	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	28-8-2020	04-9-2020	Paid	Paid	Paid
10	FP/UK/Others/32122/2018	OTHERS321222018838	19932122838	C/o of Car Parking near Chitai Golu Mandir, Almora	Others	0.258	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	29-8-2018	07-12-2018	Paid	Paid	Paid
11	FP/UK/ROAD/15132/2015	ROAD1513220157183	1131513220157183	Badyuda-Thapaniya motor road 1.775km length and 10.00tr span R.C.C motor bridge	Road	0.9675	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	19-7-2016	27-1-2017	Paid	Paid	Paid
12	FP/UK/ROAD/9428/2015	ROAD94282015513	11394282015513	kalauta motor road	Road	6.1863	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	28-3-2016	07-9-2016	Paid	Paid	Paid
13	FP/UK/ROAD/10101/2015	ROAD101012015218	113101012015218	Talet Virkola Motor Road	Road	5.00125	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA	15-4-2016	07-9-2016	Paid	Paid	Paid

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

पत्रांक 666 /3 सी(व0भू0) दिनांक 20 /02/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषयः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्दपुर तक लिंक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.08 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव सं0—FP/UK/ROAD/151552/2022)।

सन्दर्भ— भारत सरकार का पत्र सं0 —8बी0/यू0सी0पी/06 /51/2022/ एफ0सी0/766 दिनांक—04.09.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत हैः—

क्र	अधिरोपित	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त सं0 —1 के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	2 शर्त सं0 —2 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (निजी भूमि) का अधिकरण कर लिया गया है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः—** **(क)** प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.16 है0 अवनत वनभूमि सिरार क0 04 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। **(ख)** वन मंडल अधिकरी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण काय्र नहीं किया गया है। **(ग)** प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमैन्ट एरिया ट्रीटमैन्ट क्षेत्र और डब्ल्यू0 एल0एस0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई—ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	3 शर्त सं0 —3 प्रतिपूरक वनीकरण क— आपके प्रभाग से सम्बन्धित है। ख— आपके प्रभाग से सम्बन्धित है। ग— का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वीनकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धरित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	**शर्त सं0 –4** के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि–9,69,388.00 (नौ लाख उनसत्तर हजार तीन सौ अट्ठासी रुपया मात्र) उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है चालान की प्रति संलग्न है। शेष शर्तें आपके विभाग से सम्बन्धित हैं।
5	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धरित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	**शर्त सं0 –5** का अनुपालन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
6	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** **(क)** इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक–30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt) दिनांक–18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक–03.10. 2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक–05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.565 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। **(ख)** विषेशज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त सं0–6 <u>शुद्ध वर्तमान मूल्य</u> 5 (क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रु0–15,51,604.00 मात्र (पन्द्रह लाख इक्यावन हजार छः सौ चार रुपया) की धनराशि उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है। 5 (ख) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि जमा की जाने सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है
7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 81 वृक्षों एवं 16 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	**शर्त सं0–7** के अनुपालन 81 वृक्षों एवं 16 Saplings से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पार्टल https://parivesh.nic.in के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकारण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाऐंगे।	**शर्त सं0–8** के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में जमा कर दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।

9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त सं0–9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	शर्त सं0–10 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के प्रावधानों अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त सं0–11 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान विभाग द्वारा नहीं बदला जायेगा।
12	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक द्वारा शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	शर्त सं0–12 के अनुपालन में वनभूमि पर कोई श्रमिक सिविर विभाग द्वारा स्थापित न किये जायेंगे।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से प्र्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	शर्त सं0–13 के अनुपालन में मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी भी अन्य कानूनी स्त्रोतों से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	संबन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त सं0–14 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त सं0–15 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त सं0–16 के अनुपालन में वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त सं0–17 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC ,दिनांक– 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त सं0–18 के अनुपालन में उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (सं अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मं के दिशा–निर्देश प. सं0–11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही ह इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त सं0–19 के अनुपालन में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा वन एवं वन्य के संरक्षण व विकास के हित में समय–स पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु प्रयो अभिकरण सहमत है।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथासंभव रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्थारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त सं0–20 के अनुपालन में प्रयो अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्र मलवे का निस्तारण करेगा कि अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण तथा परियोजना की लागत पर प्रयो अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के प लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेग मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बन जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के व विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकर एवं सुधान कार्य योजनानुसार समयब तरीके से पूरा किया जायेगा। मल निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुम नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकर सहमत है।
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनिमम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त सं0–21 के अनुपालन में यदि कोई अन सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लाग होते हैं तो उसकी अधीन जरूरी अनुमत लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी क जिम्मेदारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त सं0–22 के अनुपालन में अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

23	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	**शर्त सं0–23** के अनुपालन में पर्या एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा वन एवं के संरक्षण व विकास के हित में सम पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु अभिकरण सहमत है।
24	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलुवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	**शर्त सं0–24** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनिमम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	**शर्त सं0–25** के अनुपालन में यदि को सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायाल आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव प होते हैं तो उसकी अधीन जरूरी लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजें जिम्मेदारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अ सहमत है।
26	अनुपालन में अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	**शर्त सं0–26** के अनुपालन में अनु रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesl in/) पर अपलोड की जायेगी। इस प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

19/02/24
(इं0 विशोर गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,अल्मोड़ा

प्रतिलिपि–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरा नगर फोरेस्ट कालो उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,अल्मोड़ा

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 465 /12–1 :दिनांक: 06 सितम्बर, 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र–सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग (लम्बाई 2 किमी0) के नव निर्माण हेतु 1.08 है0 (पूर्व में 1.62 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **Online Proposal No-FP/UK/ROAD/151552/2022**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/51/2022/एफ0सी0/766 दिनांक 04–09–2023 (प्रति संलग्न)

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन आख्या सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त कर यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को लिखा जा सके।

संलग्नक :–यथोपरि।

भवदीय,
06/09
(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 465 / 12–1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, जनपद–अल्मोड़ा को वन भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04–09–2023 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा को भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04–09–2023 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की परिपूर्ण अनुपालन आख्या ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
सत्यमेव जयते
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ईमेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 51 / 2022 / एफ.सी. / 766

दिनांक: 06 / 09 / 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद –अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र–सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अंतर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग (लम्बाई 2 किमी) के नव निर्माण हेतु 1.08 हे0 (पूर्व में 1.62 है0) वन भूमि का का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/151552/2022)

सन्दर्भः कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 07 / FP/UK/ROAD/151552/2022 दिनांक 02-07-2022

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अंतिम अनुपालना कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.08.2023 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार– जनपद –अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र–सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अंतर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग (लम्बाई 2 किमी) के नव निर्माण हेतु 1.08 हे0 (पूर्व में 1.62 है0) वन भूमि का का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरणः
(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.16 हे0 अवनत वन भूमि सिरार क0 04 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।

LiFE Lifestyle for Environment

(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

6. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.08 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

7. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 81 वृक्षों एवं 16 saplings से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।

9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

14. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

15. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

16. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
17. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
18. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
20. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
21. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
22. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।
23. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
24. प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नही किया जायेगा।
25. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
26. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 1)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित कार्य हेतु अधिरोपित वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 2)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि (निजी भूमि) का अधिकरण कर लिया गया है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 3)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है उक्त बिन्दु में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा किया जाना है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 4)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0–**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु धनराशि–9,59,388.00 (नौ लाख उनसठ हजार तीन सौ अट्ठासी रुपया मात्र) की धनराशि उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 5)

कार्य का नाम:— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है इस बिन्दु में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन किये जाने हेतु प्रस्तावक अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 6 क)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु एन0पी0बी0 की धनराशि रु0—15,51,604.00 (पन्द्रह लाख इक्यावन हजार छः सौ चार रुपया) की धनराशि उत्तरांचल कैंपा के पक्ष में चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक में जमा कर दी गयी है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

वचनबद्धता प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 6 ख)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है कि एन0पी0वी की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 7)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0–**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु 81 वृक्षों एवं 16 Saplings से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 8)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई—पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राधिकरण फण्ड में जमा कर दिया गया है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 9)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है कि एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण—पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रस्तावक अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 10)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम—1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करने हेतु विभाग सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 11)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0–**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान विभाग द्वारा नहीं बदला जायेगा।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 12)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है वनभूमि पर कोई श्रमिक सिविर विभाग द्वारा स्थापित नहीं किये जायेंगे।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 13)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है कि मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोतों से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 14)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभि निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, अल

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 15)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0–**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 16)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदृष्टि प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी भी प्रयोजन हेतु नहीं किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 17)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित न किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 18)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0–**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है कि अधिरोपित किसी भी शर्त का उलंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उलंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाइल सं0–11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक–29.1.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 19)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 20)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधान कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 21)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0–**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 22)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना की अनुपालना रिपोर्ट ई—पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 23)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर शर्तें लागू होंगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 25)

कार्य का नामः– जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/151552/2022)

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उसकी अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

प्रमाण पत्र (बिन्दु सं0 26)

कार्य का नामः— जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड ताकुला के अन्तर्गत मनान से चन्द्रपुर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रस्ताव सं0—**FP/UK/ROAD/151552/2022**)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना की अनुपालना रिपोर्ट ई—पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 03-02-2024

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ALMORA
Application No.	61151552852
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/51/2022/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD AlmoraAlmora
Amount(in Rs)	2520992/-

Amount in Words :Twenty-Five Lakh Twenty Thousand Nine Hundred and Ninety-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508961151552852 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through chall
even after 7 working days, then kindly mail a copy of y
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@u
ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

60160 20240208423145

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India 560162 Almora Branch अल्मोड़ा शाखा